कमल नारायण झा

बनाम

भूमि० वा० सं० → 62/12-13 अलाउद्दीन नदाफ व अन्य

c.c. issued
c/No -173/18/12/12
c.c. issued
c/No. 191/19/1/13.

आदेश

12-11-12 यह वाद कमल नारायण झा पे० स्व० बलभद्र झा ग्राम अहियारी थाना बहेड़ा जिला दरभंगा द्वारा अलाउद्दीन नदाफ पे० अरबाबत नदाफ व अन्य, सभी ग्रा० अहियारी थाना बहेड़ा जिला दरभंगा के विरुद्ध बि०भू०वि०नि० अधि० 2009 के तहत विहित प्रक्रियानुसार दाखिल परिवाद के आलोक में प्रारंभ की गई।

वादी द्वारा वाद पत्र में उल्लेखित है कि सोबाल बढ़ई वादी के पूर्वज थे जिन्हें एक मात्र पुत्र बच्चा बढ़ई हुए। बच्चा बढ़ई के पुत्र बलभद्र झा थे बलभद्र झा के पुत्र आवेदक कमल नारायण झा हुए। मौजा अहियारी CS खाता सं० 150 CSP 450 तदनुसार RSP 726 अन्दर RS खाता 628 रकबा 0-6-1 तथा CS खाता 149 CSP 345, 346 तदनुसार RSP 728 अन्दर RS खाता 132 रकबा 0-5-10 का CS खतियान वादी के दादा के नाम से प्रकाशित हुआ जिस पर आजतक वादी के पूर्वजों का दखल कब्जा चला आ रहा था। प्रतिवादी गण द्वारा उक्त तकरारी भूमि एवं बेचने की चेष्टा जारी रखे और भी बेचा परन्तु प्रतिवादी गण एवं उनके पूर्वजों के नाम बगैर अधिकार के रिविजनल सर्वे में खाता खुलवा लिया तथा बेदखल कर दिया। वादी द्वारा तकरारी भूमि को प्रतिवादी गणों से खाली करने का अनुरोध किया जिसे प्रतिवादी गणों ने ठुकरा दिया। उक्त तथ्यों के आलोक में वादी ने RS खतियान में प्रतिवादी सं० 1 एवं 2 का नाम विलोपित करते एवं तकरारी भूमि पर उनका अधिकार घोषित करते हुए दखल कब्जा वापस दिलाने का अनुरोध किया गया है।

OP-1 प्रतिवादी द्वारा विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से दाखिला प्रस्तुत दिनांक 4-10-12 में उल्लेख किया कि OP-1 के पिता अरबाबत मियां ग्रा० अहियारी ने CSP 450 अन्दर CS खाता 150 रकबा 0-6-2 (छः कट्ठा दो धुर) जमीन हरि यादव पे० कुंजी यादव सा० अहियारी से निबंधित केवाला द्वारा प्राप्त किया तदुपरान्त उस पर शांतिपूर्ण दाखिल कब्जा होकर

12-11-12

रहते आ रहे हैं। इसी आधार पर रिविजनल सर्वे खाता क्रेता के नाम से खुला जिस पर उनके पुत्री द्वारा जोत आबाद किया जा रहा है श्री यादव के मरने के उपरान्त उनके पुत्र [illegible] का नाम दाखिल कराया है। इसी आधार पर वादी के दावा को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

O.P.-6 राजदेव यादव के तरफ से लिखित अभिकथन के माध्यम से दाखिल साक्ष्य दिनांक 4.10.12 में उल्लेखित है कि OP.6 ने निबंधित केवाला दिनांक 16-11-95 द्वारा चौधरी दिगम्बर राय पेसर मुनेश्वर राय सा॰ [illegible] से मिजा विवादी का 2 कट्ठा 17 धुर 4 कनमा (0-2-17-4) जमीन क्रय किया —

खाता	खेसरा
151	338, 339 (CSP)
199	341 (old)
183	342 (old)
196	343, 344 (CSP)
149	345, 346 (old)
142	347, 348 (old)

साथ ही क्रय केवाला क्रम केवाला दिनांक 18.5.2004 चौधरी दिगम्बर राय, चौधरी तारणी [illegible] चौधरी [illegible] किशोर राय पे॰ चौ॰ दिगम्बर राय पे॰ स्व॰ चौधरी मुनेश्वर राय सा॰ [illegible] चौधरी पवन कुमार राय [illegible] राजदेव यादव व [illegible] को मिजा विवादी [illegible] को 0-10-10 (दस कट्ठा दस धुर) जमीन क्रय द्वारा प्राप्त हुआ।

खाता	खेसरा
151	338, 339
199	341
183	342
196	343, 344
149	345, 346
142	347, 348
132 (New)	728 (New)

old

उपरोक्त क्रय के पश्चात प्रतिवादी लगातार वाद भूमि पर शांतिपूर्वक एवं बगैर व्यवधान के काबिज दाखिल है। इसी प्रकार स्पष्ट है कि प्रतिवादी उपरोक्त वर्णित भूमि वैध क्रेता है। इसी [illegible] को स्वीकृत करते हुए वाद

- पत्र को स्वामित्व मालिक का उल्लेख किया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता का अभिवचन सुना जिन्होंने वाद पत्र का समर्थन किया तथा अपने अभिवचन व वाद के समर्थन में list of documents के माध्यम से कागजात साक्ष्य यथा CS खतियान CSP 450 अन्दर CS खाता 150 एवं CSP 345 वो CSP 346 अन्दर CS खाता 149 की सत्यापित प्रति तथा RSP 728 अन्दर RS खाता 132 वो RSP 776 अन्दर RS खाता 678 की सत्यापित प्रति की छाया प्रति दाखिल है। R.T.I सूचना अधिकार [illegible]।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने वादपत्र का पुरजोर विरोध किया तथा CSP 450 अन्दर CS खाता 150 के संबंध में निबंधित दस्तावेज दिनांक 2.5.72 नाविते इरक यादव बनाम अरबाज किया (OP1 के पिता) प्रस्तुत किया। [illegible] जिनके आधार पर RS खाता 678 RSP 776 OP-1 के पिता सरवत नवाब के नाम होना बताया। इसी प्रकार CSP 345 एवं CSP 346 OP-6 को प्राप्त होने के संबंध में निबंधित दस्तावेज दिनांक 16.11.99 नाविते चौधरी दिगम्बर लाल बनाम राज किशोर यादव वगैरह एवं निबंधित दस्तावेज दिनांक 18.5.2006 नाविते चौधरी राजकिशोर लाल वगैरह बनाम नसरुद्दीन यादव वगैरह की छाया प्रति प्रस्तुत की है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं का अभिवचन सुना तथा उपलब्ध ग्राम/प्रस्तुत कागजी साक्ष्यों का अवलोकन एवं सूक्ष्म अध्ययन किया।

निष्कर्ष: यह स्वीकृत तथ्य है कि CSP 450 अन्दर CS खाता 150 गोपाल वढ़ई वगैरह के नाम दर्ज है तथा RSP 776 पुराना खेसरा 450 से ही बना है। RSP 776 अन्दर RS खाता 678 सरवत नवाब के नाम दर्ज है जिनका आधार प्रतिवादी द्वारा केवाला दिनांक 2.5.72 नाविते इरक यादव बनाम अरबाज किया को बताया गया जिसमें CSP 450 अन्दर CS खाता 150 रकबा 0-6-2 (छ: कठा दो धूर) बिक्री किए जाने का उल्लेख है। उक्त केवाला के विक्रेता इरक यादव CS खतियानी रैयत के वंशवृक्ष में नहीं आते हैं तथा CS खतियानी रैयत से इरक यादव को यह नाजायज भूमि कैसे प्राप्त हुआ यह प्रतिवादी नहीं प्रस्तुत कर सके।

इसी प्रकार CSP 345, वो CSP 346 अन्दर CS खाता 149 [illegible] वादी के पूर्वज गोपाल वढ़ई के नाम से दर्ज है। RSP 728 अन्दर RSP 132 पुराना खेसरा 345 वो 346 से ही बना है जिसे OP-6 द्वारा निबंधित दस्तावेज दिनांक 16.11.99 नाविते चौधरी दिगम्बर लाल बनाम राज किशोर यादव वगैरह एवं निबंधित दस्तावेज दिनांक 18.5.2006 नाविते चौधरी राजकिशोर लाल वगैरह बनाम नसरुद्दीन यादव है जिसके अनुसार यानी CSP 345, 346 को [illegible]

न्यायालय [illegible] कुमार उपसमाहर्ता

भूमि बिक्री की गई है। परन्तु आवेदक केवाला में CSP 345, CSP 346 की
का रकबा विशिष्ट रूप से उल्लेखित नहीं है। [illegible] RSP
728 कैडस्ट्रल सर्वे CSP 338, 339, 347, 348, 342, 344, 346,
341, 343, 345 से बना है जो क्रमशः खाता CS खाता 199, 183, 196
,214, 149, 148, 151 के तहत है। CSP 345 का खतियानी रकबा 0-3-4
(डिसमिल) है। इसी प्रकार CSP 346 का खतियानी रकबा 0-2-6 (डिसमिल) है। जबकि
RSP 728 कुल 345 एवं 346 का कुल रकबा 0-5-10 ही होता है जबकि
Rs खाता 132 बनाम मुनी देवी [illegible] ग्राम का रकबा
1-06 (एक एकड़ छः डिसमिल) है।

उपरोक्त विवेचनाओं एवं निष्कर्षों के मद्देनजर वाद
पत्र को स्वीकृत किया जाता है तथा तत्कालीन भूमि मौजा [illegible] CSP 450
[illegible] CS खाता 150 तदनुसार RSP 726 [illegible] Rs खाता 678 रकबा
0-6-1 एवं CSP 345 वो 346 [illegible] CS खाता 149 तदनुसार RSP 728
[illegible] Rs खाता 132 रकबा क्रमशः 0-3-4 वो 0-2-6 कुल 0-11-11
भूमि पर वादी का [illegible] एवं स्वामित्व को सम्पुष्ट करते हुए
तत्संबंधित Revisional Survey प्रविष्टि को त्रुटिपूर्ण घोषित किया
जाता है। तदनुसार Revisional Survey खाता में [illegible] संशोधन
हेतु संबंधित को [illegible] करा दी जाय।

उपरोक्त आदेश व निष्कर्ष के साथ यह वाद को
निष्पादित किया गया।

लेखापित व संशोधित

12-11-12
भूमि सुधार उप-समाहर्ता
[illegible]

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
[illegible]

12-11-12
भूमि सुधार उप-समाहर्ता
[illegible]